निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक 1933 (श0)

(सं0 पटना 610)   पटना, वृहस्पतिवार, 10 नवम्बर 2011

वाणिज्य–कर विभाग

———————

अधिसूचनाएं

9 नवम्बर 2011

एस0ओ0 389, दिनांक 10 नवम्बर 2011––बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 36/1948) की धारा–9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल इसमें संलग्न तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग को विद्युत ऊर्जा की उत्पादन पर तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन रहते हुए विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण से छूट देते हैं :–

तालिका

क्रम संख्या	व्यवसायियों का वर्ग	शर्त्तें एवं बंधेज
1.	बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन नीति '2011' के अन्तर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना।	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित बिजली, (ख) नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विद्युत शुल्क से विमुक्ति उपलब्ध होगी।

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं0सं0 बिक्री–कर/ऊ0–02/2011–4599(अनु0)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राजित पुनहानी,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

9 नवम्बर 2011

एस0ओ0 390, एस0ओ0 389, दिनांक 10 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार के इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0सं0 बिक्री–कर/ऊ0–02/2011–4599(अनु0)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राजित पुनहानी,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 9th November 2011

S.O. 389, dated 10th November 2011—In exrcise of the powers conferred by section 9 of the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36/1948) The Governor of Bihar is pleased to exempt from the levy of Electricity Duty on electrical energy generated by the class of persons specified in column (2) of the table appended here, subject to the conditions and restriction specified in columan (3) of the said table:—

Table

Sl. No.	Class of Person	Conditions and Sections
1.	Under the Bihar policy for promotion of New and Renewable Energy sources '2011' new and Renewable Energy Projects.	(a) The electricity generated from the New and Renewable Energy projects. (b) The exemption from Electricity Duty shall be available for a period of five years from the date of issue of Policy Notification.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri Kar/Industry-02/2011—4599 (Anu.)]

By order of the governor of Bihar,

RAJIT PUNHANI,

Commissioner-Cum-Secretary.

———————

9 नवम्बर 2011

एस0ओ0 391, दिनांक 10 नवम्बर 2011—बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम, 16/1993) की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल इसके साथ उपाबद्ध तालिका के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट व्यवसायियों के वर्ग को उक्त तालिका के अनुसारी कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट शर्त्तों एवं निर्बधन के अध्यधीन प्रवेश कर के उद्ग्रहण से विमुक्त करते हैं :–

तालिका

क्रम संख्या	व्यवसायियों का वर्ग	शर्त्तें एवं निर्बधन
1.	"बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की संवर्द्धन नीति, 2011" के अधीन प्रोत्साहन हेतु अर्हता प्राप्त नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना।	(क) यह विमुक्ति केवल वैसे उपकरण, संयत्र एवं मशीनरी के लिए होगी–जिनपर प्रवेश कर की देयता है और जिनका उपयोग अहर्ता प्राप्त नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में प्रयुक्त होता है; तथा (ख) किसी अनुसूचित मालों के किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र से अथवा राज्य से बाहर के किसी क्षेत्र से किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश को प्रभावित करने वाला व्यक्ति, मांग किए जाने पर विहत प्राधिकारी को बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–2(i) में यथा परिभाषित व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरित इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि माल उसके परियोजना के निमित्त है। (ग) नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए प्रवेश कर से विमुक्ति उपलब्ध होगी।

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[सं0सं0 बिक्री–कर/ऊ0–02/2011–4599(अनु0)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राजित पुनहानी,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

9 नवम्बर 2011

एस0ओ0 392, एस0ओ0 391, दिनांक 10 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार के इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0सं0 बिक्री–कर/ऊ0–02/2011–4599(अनु0)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 9th November 2011

S.O. 391, dated 10th November 2011—In exrcise of the powers conferred by section 6 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, use and sale therein Act, 1993 (Act. 16 of 1993) the governor of Bihar is pleased to exempt from the levy of entry tax the class of dealers specified in column number (2) of the Table appended hereto subject to the conditions and restrictions specified in the Corresponding column number (3) of the said Table :-

Table

Sl. No.	Class of Dealers	Conditions and Restriction
1.	Under the "Bihar policy for promotion of New and Renewable Energy sources 2011" New and Renewable Energy Project.	(a) The exemption shall be only for such equipments, Plants and Machinery which are liable to entry tax and are used for establishment of qualified New and Renewable Energy Projects; and (b) The person effecting entry of any such scheduled goods into any local area from any place outside that local area or from any place outside the State produces before the prescribed authority, on demand, a certificate signed by and bearing seal of the dealer as defined in Section 2(i) of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 to the effect that the goods are meant for his Project. (c) The exemption from Entry Tax shall be available for a period of five years from the date of issue of Policy Notification.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri Kar/Industry-02/2011—4599 (Anu.)]
By order of the governor of Bihar,
RAJIT PUNHANI,
Commissioner-Cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 610-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in